अनुस्मारक

कुमार कमलेश,
अपर मुख्य सचिव

अ0शा0प0सं0-66/2020/282/35-1-2020
नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तर प्रदेश शासन,
209, **योजना भवन, लखनऊ**
(0522**)** 2238973 **/** 2238467
(0522**)** 2238967 **(फैक्स)**
दिनांक-02 जुलाई, 2020

प्रिय महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी के अ0शा0प0सं0- 15/2020/104/35-1-2020-एक्स/50/दी0यो0प्र0/2019-एस0डी0जी0 दिनाँक- 01 मार्च, 2020 (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि सतत् विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) के अन्तर्गत निर्धारित 17 गोल एवं इनके 169 लक्ष्यों के अनुश्रवण हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मॉस्पी), भारत सरकार, द्वारा नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क (एन0आई0एफ0) तैयार किया गया है। प्रदेश में एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक गोल के लिए नोडल विभाग नामित हैं। ऊर्जा विभाग, गोल-7 (किफायती व प्रदूषण मुक्त ऊर्जा) का नोडल विभाग है।

नीति आयोग, भारत सरकार ने सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति विभिन्न राज्यों द्वारा की गयी प्रगति के आधार पर एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-2.0 (2019-20) जारी किया था जिसमे उत्तर प्रदेश का स्कोर 55 एवं 28 राज्यों में रैंक 23वीं थी। एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-2.0 (2019-20) में गोल-7 के इंडीकेटर्स की परफार्मेंस में अपेक्षित सुधार कर प्रदेश को "बेस्ट परफार्मिंग स्टेट" से "एचीवर स्टेट" की श्रेणी में लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था कि कृपया एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-2.0 (2019-20) में आपके गोल्स से सम्बन्धित सम्मिलित सभी इंडीकेटर्स की परफार्मेंस में अपेक्षित सुधार करते हुए इन इंडीकेटर्स की प्रगति की सूचना भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों आदि के पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड कराने के साथ-साथ सतत निगरानी करने का भी कष्ट करें, ताकि नीति आयोग को आगामी इंडेक्स-3.0 (2020-21) तैयार करने हेतु अद्यतन सूचना की उपलब्धता बनी रहे एवं प्रदेश के स्कोर एवं रैंकिंग में बढ़ोत्तरी संभव हो सके।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में नोडल विभाग के रूप में आपके द्वारा की गयी अपेक्षित कार्यवाही से नियोजन विभाग को भी हार्ड एवं साफ्ट कापी ईमेल (dirppd@nic.in) पर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

कुमार कमलेश

श्री अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0शासन।

प्रतिलिपि-
1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in